संधारणीय विकास के संदर्भ में महिला शिक्षा संबंधी चुनौतियाँ एवं समाधान

रश्मि श्रीवास्तव*

हमारी शैक्षिक व्यवस्थाओं में रफ़्तार की तेज़ी की माँग तमाम चुनौतियाँ पैदा कर रही है। इनमें से एक बड़ी चुनौती शिक्षा और संधारणीय विकास के संयोजन की है। संधारणीय विकास भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए एवं उनकी क्षमताओं में किसी तरह के समझौते किए बगैर वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना और विकास हेतु प्रतिबद्ध होना है। यहाँ समस्या यह है कि तीव्र विकास के संदर्भों में विकसित शैक्षिक व्यवस्थाएँ त्वरित विकास के लक्ष्य से संबंधित हो गई हैं। दूरगामी परिणामों पर उसकी नज़र कमज़ोर हुई है। परिणामस्वरूप विकास के अन्य पक्षों, जैसे — बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक की अनदेखी हो रही है, जो कि उचित नहीं है। यहाँ विचार का मुद्दा संधारणीय विकास के संदर्भों में महिला शिक्षा संबंधी चुनौतियों का है। अत: आगे का विश्लेषण उसके संदर्भों में केंद्रित करना होगा।

शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य सदैव भविष्य की बेहतर संभावनाओं से संबंधित हैं। वे सदैव ऐसे उपायों, ऐसे रास्तों के प्रति उन्मुखता को बढ़ावा देते रहे हैं, जो आज और कल, दोनों को बेहतर बनाएँ। शैक्षिक व्यवस्थाएँ इसके प्रति सदैव प्रयत्नशील भी रही हैं। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि हमारे बीच से पनपते विचारों और व्यवस्थाओं से बनने वाले नीति-नियम, ज़्यादातर शिक्षा पर हावी हो उठते हैं। यहाँ ऊपरी तौर पर दिखाई यही देता है कि शैक्षिक व्यवस्थाएँ समाज को दिशा दे रही हैं। लेकिन हमारा अर्थतंत्र, प्रशासन व सामाजिक व्यवस्थाएँ तथा वैश्विक चुनौतियाँ सदैव शैक्षिक व्यवस्थाओं पर एक दबाव बनाती रही हैं। ध्यानपूर्वक देखें तो हमारे आज के शैक्षिक उद्देश्यों और संधारणीय विकास के लक्ष्य के बीच यह दबाव ज्यों का त्यों है।

आज की माँग तीव्र आर्थिक विकास की है। विश्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जुगत में तेज़ी से आर्थिक विकास को बढ़ाना है तो इस विकास का माध्यम शिक्षा ही है। अत: यहाँ शैक्षिक व्यवस्थाएँ भी उसके अनुरूप ही आकार ले रही हैं और यही कुछ चीज़ें उसकी पकड़ में हैं और कुछ बहुत ज़रूरी हाथों से छूट रही हैं। छोटे बच्चों

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर* (बी.एड.), महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ

को जब हाथ पकड़ कर, सहारे से रास्ता पार कराना हो तो पकड़ को मज़बूत और रफ़्तार को धीमा रखना होता है। बहुत तेज़ रफ़्तार से बढ़े कदम बच्चे को या तो मुँह के बल ज़मीन पर गिराकर उनके घुटनों, हाथों को ज़ख्मी कर देंगे या हाथ की पकड़ से दूर हो जाएँगे।

इक्कसवीं सदी के भारत में संधारणीय विकास के संदर्भों में महिला शिक्षा की दशा उस छोटे बच्चे की तरह ही है, जो रफ़्तार की तेज़ी में या तो ज़ख्मी है या हाथ की पकड़ से दूर है। उन्नति को मुख्य आधार बनाकर विकसित की जा रही हमारी व्यवस्थाओं में, हमारी छोटी बच्चियाँ, किशोरियाँ, वयस्क युवतियाँ जटिलता में हैं और संतुलित विकास की पहुँच से दूर भी। महिला शिक्षा तथा संधारणीय विकास का विश्लेषण इस प्रकार है —

संधारणीय विकास (Sustainable development)

अंग्रेज़ी के लोकप्रिय शब्द Sustainable development का हिंदी आशय संधारणीय विकास है। Sustainable के लिए हिंदी भाषा में स्थायी, स्थायित्व, संधारणीय, समग्र, संपूर्ण, निरंतर, संवहनीय आदि शब्द प्रचलन में हैं। Sustainable शब्द 18वीं व 19वीं शताब्दी में यूरोप में वन अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त किया गया। आगे चलकर इस शब्द का प्रयोग विविध सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संदर्भों में किया जाने लगा। अत: मोटे तौर पर संधारणीय विकास का आशय भविष्य की आवश्यकताओं, स्थिर आर्थिक विकास के साथ-साथ पारिस्थितिकी व्यवस्था की सुरक्षा को भी महत्व देना है।

ग्रो हरलेन ब्रुडलैंड की अध्यक्षता में गठित विश्व आयोग के अनुसार "संधारणीय विकास वह अवधारणा है, जिसमें भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए एवं उनकी क्षमताओं में किसी तरह के समझौते किए बगैर वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना ही विकास है।" विश्व में पीढ़ियो की ज़रूरत और क्षमता में समझौता ना किए जाने के उद्देश्यों के तहत इसमें संस्कृति को भी शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को, 2001) ने माना कि सांस्कृतिक वैविध्य मानव जाति के लिए ठीक उसी प्रकार ज़रूरी है, जैसे कि जैव विविधता प्रकृति के लिए। संधारणीय विकास को समझने के लिए केवल आर्थिक उन्नति ही पैमाना नहीं है, बल्कि संधारणीय विकास में बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक अस्तित्व भी एक संतोषजनक पैमाना है। अर्थात् सांस्कृतिक वैविध्यता संधारणीय विकास योजना क्षेत्र का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार, संधारणीय विकास के क्षेत्र को चार सामान्य आयामों— सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और संस्थागत में विभक्त किया गया है। इनमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मूलत: स्थायित्व के प्रमुख सिद्धांत हैं, जबकि संस्थागत का संबंध संस्थागत नीति और क्षमता से है।

रियो घोषणा पत्र 1992 (Declaration-United Nations Conference on Environment and Development) जिसे अर्थ समिति (Earth Summit) भी कहा जाता है, में स्थायी विकास हेतु बताए गए 27 सिद्धांतों में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया।

संधारणीय विकास हेतु महिला शिक्षा की महत्ता

महिला शिक्षा तथा देश का संधारणीय विकास एक-दूसरे से सहसंबंधित है। संधारणीय विकास हेतु शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस महत्वपूर्ण साधन को प्रयुक्त किए जाने की अनदेखी का आशय विकास संदर्भों में आधी आबादी की अनदेखी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक (15 सितम्बर 1915) में अगले 15 सालों के लिए निर्धारित संधारणीय विकास लक्ष्य (Sustainable Development Objective—SDO) के मुख्य बिंदुओं में समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने, सीखने का अवसर देने, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना प्रमुखता के साथ रखा गया है। इसके पूर्व 2000–2015 तक सहस्त्राब्दी के विकास लक्ष्य (Millanium Development Goal—MDG) में भी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा मुख्य बिंदु था। भारत इस लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने में सफल नहीं रहा। देखा यही गया है कि तमाम देशों में लंबे समय से राष्ट्रीय विकास संदर्भों में महिलाओं की भागीदारी के अवसर न्यूनतम रहे हैं। न्यूनता का ये आधार उन्हें शैक्षिक सुविधाओं और सम्मानित काम के अवसरों की पहुँच से दूर रखना रहा है, जो कि संधारणीय विकास के मुख्य चार आयामों (सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और संस्थागत) की अनदेखी है।

शिक्षा का उद्देश्य एक व्यक्ति के व्यवहार में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना है, जिससे वह सामाजिक और उपयोगी व्यक्ति बन सके। शिक्षा की ताकत से प्राप्त यह सामाजिकता और उपयोगिता संधारणीय विकास का आधार है।

भारत आज संधारणीय विकास के आयामों के प्रति प्रयासरत है। इन सबके सकारात्मक परिणाम भी हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन प्रयासों के परिणाम एकतरफ़ा रहे हैं। समाज का एक वर्ग अपनी बेटियों को शिक्षित करने, उन्हें रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु जागरूक हुआ है, किंतु एक बड़ा वर्ग इस बदलाव से दूर है। ऐसी तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व भौगोलिक चुनौतियाँ हैं जिससे हम अपनी इस आधी आबादी के प्रति पूरा-पूरा न्याय नहीं कर पा रहे हैं, हमें इनके प्रति संवेदनशील होना होगा।

संधारणीय विकास के नज़रिए से महिला शिक्षा की अपनी विशेष महत्ता है। अपने देश में महिला वर्ग को अशिक्षा के दायरे में रखकर हम सिर्फ़ एक महिला को अशिक्षित नहीं रख रहे हैं, बल्कि उसके आस-पास, उससे प्रभावित लोगों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। बच्चों के व्यक्तित्व (चरित्र) निर्माण में महिलाओं की विशेष भूमिका है। बच्चे ही समाज की भावी पीढ़ी एवं नेता हैं जो आने वाले दिनो में समाज को दिशा देंगे। अत: स्त्रियों (माताओं) का दर्जा यहाँ ऊँचा हो जाता है, क्योंकि वे अपनी बेहतर परवरिश से बेहतर नागरिक समाज को देने की ताकत रखती हैं। इस तरह शिक्षित महिला सांस्कृतिक संप्रेषक (Cultural transmitter) भी है। यदि उनकी शिक्षा के प्रति अनदेखी की गई तो इसका आने वाली पीढ़ियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लैंगिक समानता सिर्फ़ एक मौलिक मानवाधिकार नहीं है, यह शांतिपूर्ण,

उन्नतशील तथा विश्व के स्थायित्व (Sustainable World) की आधारशिला है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (Sustainable development: The future we want) ने संधारणीय विकास के तीन मुख्य आधार— आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय संदर्भों में महिला विकास व लैंगिक समानता को भी महत्वपूर्ण माना।

संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) ने 11 जुलाई 2016 को विश्व जनसंख्या दिवस पर संधारणीय विकास के संदर्भों में किशोर बालिकाएँ, जो निर्धन हैं तथा विद्यालयों से दूर हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान दिए जाने और समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने संबंधी प्रयासों पर ज़ोर दिए जाने की बात कही। भारत में राष्ट्र के संधारणीय विकास हेतु महिला शिक्षा की अपनी विशेष चुनौतियाँ हैं, जिनका क्रमबद्ध विवेचन निम्नवत है —

"दुनिया के तमाम हिस्सों में लगभग सार्वभौमिक प्राथमिक स्कूल पंजीयन के बावजूद भी इसमें कमियाँ हैं। निम्न मानव विकास दर वाले देशों में प्राथमिक स्कूल की उम्र वाले हर दस में से लगभग पाँच बच्चे प्राथमिक शाला में पंजीकृत भी नहीं होते।" बालिका शिक्षा के नज़रिए से ये स्थिति और भी गंभीर है। "बालिकाओं को पढ़ाने-लिखाने के लाभ दुनिया के सामने बहुत पहले सिद्ध हो चुके हैं। किंतु अब इस बारे में नयी समझ पैदा हुई है कि "बालिकाओं को शिक्षित करना — दुनिया भर में विकास समुदाय के सामने सबसे आवश्यक कार्य क्यों है? और बालिकाओं की शिक्षा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कैसे गति प्रदान की जा सकती है।" पिछले चालीस सालों के दौरान प्राथमिक शिक्षा का प्रचार एक महान उपलब्धि रही है। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों का आँकड़ा 57 से बढ़कर 85 फीसदी हो गया है। इसके बावजूद अंतर कायम है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। 2011 के प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, भारत में आज भी 34.54 प्रतिशत करोड़ महिलाएँ निरक्षरता के दायरे में हैं। अर्थात् उन्होंने कभी स्कूलों का मुँह देखा ही नहीं। विद्यालयी दायरे से दूर एक महिला के जीवनयापन की अपनी विशेष चुनौतियाँ स्वत: बन जाती हैं। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य तथा घरेलू जानकारियों से रिक्त यह वर्ग देश के विकास में बेहतर भागीदारी नहीं कर पाता। यहाँ संभावना इस बात की बढ़ जाती है कि वे स्वयं शोषण का शिकार न हो जाएँ। "परिवार के दायरे से बाहर बच्चों को संरक्षित वातावरण देने वाला अगला पड़ाव शिक्षा है। बच्चों, विशेषकर बालिकाओं और अन्य कमज़ोर समूहों के जीवन में स्कूल, बचाव की सबसे ताकतवर शक्ति बन सकते हैं। इसका कारण सिर्फ़ यह नहीं है कि स्कूल दिन के अधिकांश समय बच्चों को शारीरिक रूप से खतरनाक स्थितियों से दूर रखते हैं, बल्कि स्कूल बच्चों को अपने बचाव में मददगार दक्षता सीखने और जानकारी पाने में मदद करते हैं। शिक्षा बाल मज़दूरी रोकने, बच्चों खासकर बालिकाओं के लिए, यौन शोषण और तस्करी का सामना करने में मदद देने का प्रमुख साधन है। स्कूल में पढ़ रही बालिका के लिए घर से बाहर शोषक कामों में फसने की संभावना कम रहती है और स्कूल आने से वह घर के कामकाज के बोझ से बची रहती है।

हमारे देश में घरेलू कामकाज का बोझ बालिकाओं की शिक्षा में एक बड़ी बाधा है। समाजीकरण की प्रक्रिया में लड़के और लड़की को यह सिखाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि घरेलू काम लड़कियों द्वारा किए जाते हैं। इसलिए अगर बालिकाएँ विद्यालय जाती हैं या नहीं भी जाती हैं, उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे घरेलू कार्यों में अपनी माँ की मदद करें। जब शिक्षा को एक ऐसे साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा है, जो व्यक्तियों को श्रम-बाज़ार में प्रवेश करने हेतु आवश्यक अर्थपूर्ण कौशल सिखा सके, साथ ही उनमें ऐसे मूल्यों को भी विकसित करे, जो व्यक्ति को उपयोगी सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करे, तो ऐसी स्थिति में लड़कियों की आधी संख्या लाभ के इस क्षेत्र से बाहर है। इस स्थिति में मानवीय निष्प्रयोज्यता की मात्रा की कल्पना की जा सकती है।" संसाधनों की कमी भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। "लड़कियों पर इनका अकसर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संसाधन जुटाने और स्कूल जाने, दोनों काम एक साथ करने की संभावना उनके लिए ही अधिक होती है। साफ़ पानी और परिष्कृत साफ़-सफ़ाई की उपलब्धता भी लड़कियों के लिए ही खासतौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, समय की बचत और एकांत उपलब्ध हो जाता है।''

बड़ी संख्या कि किशोर बालिकाएँ विद्यालयों में उनकी ज़रूरतों के अनुरूप उपलब्ध संसाधनों (शौचालय तथा पानी) के अभाव के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने को मजबूर हो जाती हैं। "2011–12 में निम्न तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के आँकड़ों पर नज़र डालने पर पता चलता है कि कक्षा 1–5 तक की कक्षाओं में नामांकित 672 लाख छात्राओं में से मात्र 299 लाख छात्राओं ने ही उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6–8) की कक्षाओं में प्रवेश लिया। माध्यमिक स्तर (कक्षा 9–10) पर यह संख्या घटकर मात्र 155 लाख पाई गई।" निस्संदेह हमारी शैक्षिक व्यवस्थाओं में शत-प्रतिशत बालिकाओं को विद्यालय की परिधि में लाने के प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे। यहाँ संसाधनों की उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा। "आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में सयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ़) और अन्य एजेंसियाँ बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों तथा महिला साक्षरता संगठनों को सौर ऊर्जा चालित लैम्प मुहैया करा रही हैं। एक 13 वर्षीय बालिका के शब्दों में "जब बिजली नहीं थी, हम रात को खाने के बाद जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे। अब मैं रात को पढ़ सकती हूँ।"

महिलाओं को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उस हर एक चीज़ पर नज़र रखनी होगी जो उन्हें शिक्षा की सुविधा से दूर रखने का कारण बने। यहाँ एक नज़र महिलाओं के आर्थिक संदर्भों से जुड़ाव पर भी डालें। महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों और सशक्तीकरण की राह अभी बुरी तरह बाधित है, बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त महिलाएँ आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकने से दूर ही हैं। लैंगिक असमानता अर्थात् महिलाओं की कम सहभागिता की झलक राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीतिक मंचों पर दिखती है, जिसका मुख्य कारण उनकी शिक्षा

का उनके दैनिक जीवन से न जुड़ सकना है। तीसरी दुनिया के देशों में निरक्षर महिलाएँ निर्धनता की चपेट में हैं। अशिक्षा के कारण वे प्राय: रोज़ी-रोटी के लिए निम्न आय के कठिन व अकौशलीय रोज़गार में लग जाती हैं। जिसका सीधा बुरा असर उनके संरक्षण में पल रहे बच्चों पर पड़ता है। भारत देश के संदर्भ में इस स्थिति का उल्लेख करते हुए उपाध्याय लिखते हैं, "गाँवों में यदि इनकी बस्ती में कोई जाए तो दिखेगा कि चार-पाँच वर्ष की लड़कियाँ नंग-धड़ंग, फटे कपड़े में नवजात शिशु को लिए छाया में बैठी जलपान के लिए मिले हुए रोटी के टुकड़े को खाती हैं और कभी उस बच्चे को भी चटा देती हैं। शिशु की देख-रेख करने वाले किसी सयाने बच्चे के अभाव में माता हींग या अफीम की घोटी देकर बच्चे को लम्बी नींद में सुला देती है और उन्हें गृह कार्य या मज़दूरी के लिए पूरा समय मिल जाता है। इन नशीली वस्तुओं से बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यदि जीवित भी रहा तो मस्तिष्क-विकार, बुद्धि भ्रष्टता उसके पल्ले पड़ती है। अज्ञान माताएँ कच्चा दूध रख देती हैं और उस बच्चे को भूख लगने पर पिलाती रहती हैं, वैसे तो गरीबी में दूध मिलता ही कहाँ है? कमज़ोर वर्ग की लड़कियों के लिए शिक्षा का तो इतना अधिक अभाव है कि वे अत्यंत अयोग्य गृहणी सिद्ध होती हैं। काम के कारण व्यावहारिक जीवन की सामान्य बातों की जानकारी प्राप्त करने का समय हमारे देश की इन अभागिनी बेटियों को नहीं मिलता।" आधुनिक शिक्षा इस योग्य नहीं है कि वह व्यक्ति को व्यावसायिक क्षमता, जीविकोपार्जन की योग्यता तथा आत्मनिर्भर बनने की दक्षता प्रदान कर सके। महिलाओं पर इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हमें आज इस क्षमता की ज़रूरत है कि व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके मानव की सुख-सुविधाओं में वृद्धि कर सके, आत्मनिर्भर बन कर अपना तथा दूसरों का पेट भर सके। महिलाओं की शिक्षा तथा आर्थिक सशक्तीकरण गरीबी कम करने का महत्वपूर्ण ज़रिया है, ऐसा देखा गया है कि "महिलाएँ प्राय: अपनी आय का 90 प्रतिशत हिस्सा परिवार में लगाती हैं, जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा 30–40 प्रतिशत का है।" मगर यहाँ दिक्कत उन्हें दी जा रही शिक्षा के स्वरूप का है। बालिकाएँ व युवतियाँ या तो शिक्षा की पहुँच से दूर हैं या फिर जो शिक्षा की पहुँच तक आ सकी हैं, उनमें से बड़ी संख्या में वे अपने-अपने विद्यालयों या महाविद्यालयों में प्राय: इस प्रकार की सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जो उन्हें रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध ही नहीं करा पाती। ऐसी दशा मे उनकी शिक्षा, उनका आर्थिक सम्बल भी नहीं बन पाती।

जीवन की विविध दैनिक क्रियाएँ और आवश्यकताएँ व्यक्ति का कर्त्तव्य निर्धारित करती हैं। लड़कियाँ जंतु विज्ञान पढ़ती हैं, भूगोल पढ़ती हैं और अन्य वैज्ञानिक शाखाओं का अध्ययन करती हैं, परंतु वह उसका लाभ अपने जीवन की क्रियाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में नहीं उठा पातीं। इसका कारण शिक्षा में उन अवसरों की कमी का होना है, जिन्हें पाकर लड़कियाँ अर्जित ज्ञान को अपने जीवन का अंग बनाने का प्रयास करती हैं, यह कार्य भी एक प्रकार का उत्पादन और अर्जन है, जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और लड़कियाँ भावी जीवन के

लिए तैयार होकर वातावरण के अनुकूल ढलती हैं। महिलाओं को सम्मानजनक रोज़गार से जोड़ने के लिए भारत में तमाम योजनाएँ शुरू की गई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं पर नज़र डालें। "महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोज़गार के लिए सहायता कार्यक्रम (Support to Training and Employment Programme—STEP) 1986–87 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उपयुक्त समूहों में संगठित करते हुए स्वपोषी आधार पर उनके रोज़गार के कौशल में सुधार लाते हुए, बाज़ार संपर्क की व्यवस्था करते हुए, सहायता सेवाएँ और ऋण उपलब्ध कराते हुए, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, साक्षरता और अन्य सूचना उपलब्ध कराते हुए उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना है।" भारत सरकार द्वारा ऐसी कई छोटी-बड़ी योजनाएँ महिला सशक्तीकरण के लिए शुरू की गई हैं, जिसमें केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित महिलाओं की शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम योजना महत्वपूर्ण है। यह योजना ऐसी वयस्क लड़कियों/महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुरू की गई जो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाईं और जिन्होंने औपचारिक स्कूलों की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। इस योजना के तहत जनजातीय, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका लक्ष्य 15 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों/महिलाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा—प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है। योजना में इस बात पर मुख्य ध्यान दिया जाता है कि पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु आवश्यकता के अनुरूप हो और वह स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक संशोधित की जाए। साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उसे शैक्षिक स्तर की विविध अवस्थाओं को लक्षित कर तैयार किया जाए।" लेकिन यहाँ बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिले। अत: यहाँ एक अन्य चुनौती, इस प्रकार के कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की है। हमारे देश में प्राय: इस प्रकार की आकर्षक योजना जनसामान्य तक पहुँच ही नहीं पाती। यहाँ ध्यान दिए जाने वाली बात यह भी है कि इन योजनाओं का दायरा तथा लक्ष्य वर्ग विशेष तक सीमित है। इस प्रकार की विस्तृत योजनाओं को लागू करके उन्हें क्रियान्वित करने के प्रयास भी भारत सरकार को करने होंगे।

संधारणीय विकास के नज़रिए से समाज में व्याप्त किसी भी प्रकार की असमानता को खत्म किया जाना भी आवश्यक है। कोई भी राष्ट्र यदि किसी वर्ग विशेष के अधिकारों का हनन कर उसे दोयम दर्जे पर रखता है, तो उसके नकारात्मक प्रभाव स्वयं ही सामाजिक व्यवस्थाओं पर पड़ते हैं। इस बात का डर बना रहता है कि असमानता से उत्पन्न ये नकारात्मकता अगली पीढ़ी तक अपने आप ही न पहुँच जाए। इतिहास गवाह है कि सदियों से घरों के भीतर जीवन बिताने वाली भारतीय महिलाओं को जब संवैधानिक व्यवस्थाओं ने बराबरी का दर्जा दिया तो इस व्यवस्था को जनसामान्य द्वारा स्वीकार करने में ही कई वर्ष लग गए। आज भी मानसिक तौर पर हम लड़के-लड़कियों को बराबरी के दर्जे पर रख सके हों, ऐसा कम ही दिखाई देता है। संधारणीयता और समता को लेकर जो चिंताएँ और सरोकार हैं,

वे बुनियादी अर्थ में एक जैसे हैं। दोनों का फ़ोकस वितरणात्मक न्याय (Distribution Justice) है, असमानता मूलक प्रक्रियाएँ अनुचित हैं।, फिर चाहे समूहों की बात की जाए या पीढ़ियों की। असमानताएँ विशेष रूप में तब अनुचित होती हैं, जब वे लोगों के विशेष समूह को जेंडर, नस्ल या जन्म के आधार पर एक व्यवस्थित तंत्र के रूप में नुकसान पहुँचाती हैं।"

समाधान

हमारे देश में, बालिकाओं का एक बड़ा वर्ग जो अल्पसंख्यक, ग्रामीण क्षेत्रों का निवासी और गरीब है, सामाजिक सुविधाओं के दायरे से बाहर होने की चुनौती का सामना कर रहा है। तमाम बालिकाएँ सिर्फ़ एक लड़की होने के कारण तमाम सहूलियतों व सुविधाओं से वंचित हो जाती हैं। स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी बालिकाएँ तथा कामकाजी लड़कियाँ और संघर्ष की स्थितियों में फंसी लड़कियाँ भी शिक्षा की पहुँच से दूर हैं। अत: ज़रूरी है कि विशेष उपायों के ज़रिए उन तक शिक्षा को पहुँचाया जाए। औपचारिक स्कूली व्यवस्था के दायरे से बाहर शिक्षा केंद्रों की स्थापना इनके लिए मददगार साबित हो सकती है। संधारणीय विकास के संदर्भों में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि "मानव विकास का उद्देश्य स्वतंत्रता और क्षमताओं को इस तरह संधारणीय बनाना हो ताकि लोग सार्थक जीवन जी सकें।" "हम ना केवल घटनाओं की किसी परिस्थिति में, बल्कि स्वतंत्रताओं के समुचित विस्तार में भी संधारणीय चाहते हैं। इसलिए विषमता लाने वाला विकास कभी भी संधारणीय मानव विकास नहीं हो सकता।"

अर्थशास्त्री सोलो ने 1992 में तर्क दिया था कि "संधारणीयता का मतलब ऐसी विरासत से नहीं है जिसमें सिर्फ़ किसी एक चीज़ की चिंता हों, बल्कि उसमें ऐसी तमाम चीज़ें समाहित हों, जिससे कम-से-कम वैसा जीवन स्तर तो हासिल किया जा सके, जैसा हम खुद जी रहे हैं और जो अगली पीढ़ी का भी ठीक इसी तरह खयाल रख सके" महिला शिक्षा के संदर्भों में सोलो की इस विवेचना का आकलन किए जाने पर भारतीय संदर्भों में परिणाम बहुत बेहतर हो, ऐसा दिखाई नहीं देता।

भारत में आज भी महिलाओं का एक तबका निरक्षरता के घेरे में हैं, जिन्होंने विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर भी ली है, वे कुछ वर्षों की शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् जटिल घरेलू परिस्थितियों के बीच स्कूल में सीखी गई जानकारियों को भुला बैठी हैं। इन स्थितियों में उनके सानिध्य में पल रही बालिकाओं का भविष्य बहुत बेहतर नहीं बन पाता। निरक्षर व कम पढ़ी-लिखी माताओं के सानिध्य में पल रही बालिकाओं पर पारिवारिक माहौल हावी होकर उन्हें शिक्षा की महत्ता से अनजान ही रखता है और इन बालिकाओं का रूझान शिक्षा से विरत दूसरे पहलुओं जैसे—साज-शृंगार, घरेलू कामों, टी.वी. रेडियो आदि पर मनोरंजक कार्यक्रमों को देखने-सुनने की तरफ़ हो जाता है जिससे उनकी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर लगभग समाप्त हो जाते हैं। "सरकारों को चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल सबसे उपयोगी रणनीति का चुनाव करने से पहले अपने यहाँ बालिकाओं के सामने मौजूद बाधाओं का अच्छी तरह अध्ययन कर लें। इन बाधाओं के

बारे में माता-पिता और बच्चों की धारणाओं को जानने के लिए एक जनमत सर्वेक्षण इस तरह के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।"

वर्तमान युग परिवर्तन का युग है, विज्ञान तथा तकनीकी के तीव्र विकास के साथ मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आ रहे हैं। दूरसंचार, यातायात, कृषि, उद्योग तथा चिकित्सा क्षेत्रों में नित नये प्रयोग हो रहे हैं। इन प्रयोगों और इनसे प्राप्त परिणामों का समाज की संरचना एवं अन्य सामाजिक परिस्थितियों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। महिलाओं को इन संदर्भों के साथ जोड़े रखना ज़रूरी दिखाई देता है। लेकिन दिखाई यही देता है कि भारतीय समाज द्वारा निर्धारित कार्यदशाओं के बीच बालिकाएँ व युवतियाँ इनके साथ सहजता से जुड़ नहीं सकी हैं। अत: हमें इस दिशा में भी सचेत रहना होगा। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात् विज्ञान, गणित तथा तकनीकी विषयों के जटिल होते जाने के साथ बड़ी संख्या मे बालिकाएँ इनके प्रति उदासीन होकर अन्य सामाजिक विषयों को पढ़ना पसंद करती हैं। अत: शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् विज्ञान और तकनीकी की जानकारी की रिक्तता उन्हें व्यावसायिक क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबरी से खड़े होने में बाधक बनती है। अत: शिक्षित युवतियाँ भी दोयम दर्जे का जीवन जीने को विवश हो जाती हैं। कार्यक्षेत्र में उन्हें प्राय: चुनौतीपूर्ण काम नहीं मिल पाते हैं।

स्पष्ट है कि महिला शिक्षा के संदर्भों में यदि संधारणीय विकास लक्ष्यों के तीन प्रमुख आयामों— आर्थिक विकास (Economic Development) सामाजिक समावेश (Social Inclusion) और पर्यावरण संधारणीयता (Envionmental Sustainability) का विश्लेषण करें तो तीनों ही स्तरों पर स्थिति विचारणीय है। बड़ी संख्या में अशिक्षित महिलाएँ सीधे तौर पर आर्थिक विकास से जुड़ नहीं सकी हैं। आर्थिक निर्भरता के कारण समाज में दोयम दर्जे की स्थिति से सामाजिक समावेशन भी बाधित है और अशिक्षा की परिधि में रहकर तथा जानकारी के अभाव में महिलाओं का एक बड़ा वर्ग अपने और अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य का भी खयाल रख सकने तथा उनके उचित पोषण में असमर्थ है। जिससे मानव संसाधन का उचित विकास भी बाधित हो रहा है। निस्संदेह इन सबका नकारात्मक प्रभाव वर्तमान और भविष्य, दोनों पर पड़ रहा है। अत: एक लंबी अवधि तक शिक्षा से वंचित महिला वर्ग को बराबरी के दर्जे पर लाने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे, जो इस प्रकार हो सकते हैं —

1. ग्रामीण-शहरी, निर्धन-संपन्न, उच्च तथा अनुसूचित जाति की बालिकाएँ और युवतियाँ चूँकि अलग-अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, अत: उनसे संबंधित नीति-निर्धारण और योजनाओं के विकास में उनकी मूलभूत चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा।
2. देश भर में इस प्रकार का माहौल बनाया जाए कि जिस तरह एक लड़के को हम स्कूल भेजे जाने के प्रति चिंतित हैं, वैसे ही लड़की को भी स्कूल भेजे जाने के प्रति सचेत हों।
3. विद्यालयी वातावरण में लड़कियों की पारिवारिक माहौल संबंधी समस्याओं को सहजता से स्वीकार कर उन्हें विद्यालयों में बनाए रखने के प्रयास किए जाए।

4. विद्यालयी परिधि में आ सकी बालिकाओं को दी जाने वाली शिक्षा उन्हें किसी रोज़गार विशेष के लिए तैयार कर सके तो परिस्थितियाँ और बेहतर होंगी।
5. अन्य भावी ज़िम्मेदारियों के लिए भी बालिकाओं की शिक्षा के पाठ्यक्रम में विशेष प्रावधान रखा जाना प्रभावपूर्ण हो सकता है।
6. विद्यालयों में छात्राओं के लिए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए जाएँ जो उन्हें आगे के जीवन में सामाजिक व आर्थिक मंच पर सक्रिय रहने को प्रेरित करें।
7. विकास के संदर्भों में एक बालिका के पीछे रह जाने के कारणों में उसका परिवार व उसके अभिभावक मुख्य हैं। अत: यदि विद्यालयों में छात्राओं के अभिभावकों के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ तो बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।
8. ऐसा भी देखा गया है कि सरकार द्वारा संचालित विविध योजनाओं की जानकारी बालिकाओं और उनके अभिभावकों तक न पहुँच पाने के कारण वे उसके लाभ से वंचित रह जाती हैं। इन आवश्यक जानकारियों को बालिकाओं तक पहुँचाने में हमारे विद्यालय भी उचित भूमिका निभा सकते हैं। निस्संदेह योजनाबद्ध तरीके से अपनी बालिकाओं तक शिक्षा का प्रकाश पहुँचा कर हम उससे फैलती रोशनी से अपने आज और कल दोनों को खूबसूरत तथा लाभप्रद बना सकेंगे। संधारणीय विकास के लक्ष्य के तहत हम अपनी आधी आबादी के साथ पूरा न्याय कर सकेंगे।

संदर्भ

एसिन, एम्यूनल, ओ. ओकाफा एलिजाबेथ यू और एस्थेर ई. 2014. वुमेन एंड सस्टेनेबल इकोनोमिक डेवलपमेंट इन नाइजीरिया. *आनलाइन जर्नल ऑफ़ एजुकेशन एंड प्रेक्टिस*. 5,16, www.Estle org.

इंग्लमैन, रॉबर्ट. और जिल शेफ़िल्ड. www.wordwatch.org.

उपाध्याय, यज्ञनारायण. 2014. ग्राम्य नारी जीवन पर एक दृष्टि देखिये. *स्त्री विर्मश का कालजयी इतिहास*. संपादक संजय गर्ग. सामायिक प्रकाशन, नयी दिल्ली.

देसाई, नीरा और ऊषा ठक्कर. 2009. *भारतीय समाज में महिलाएँ*. अनुवादक धुनिया सुभी. नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली.

बैल्मी, कैरल. 2003. *दुनिया के बच्चों की स्थिति — बालिका शिक्षा और विकास*. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष. (यूनिसेफ़).

मानव विकास रिपोर्ट. 2011. *संवहनीयता और समता — सबके लिए बेहतर भविष्य*. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यू.एन. डी.पी. के लिए प्रकाशित. न्यूयार्क. सम्यक न्यास द्वारा अनुवादित.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2014. *एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस*. ब्यूरो ऑफ़ प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स. नयी दिल्ली.

मुसाब, सुएबु और अयूबा मोहम्मद. 2015. वुमेन एजुकेशन एज ए टूल फ़ॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इ यू एंड प्रॉसपेक्ट्रस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ टेक्निकल रिसर्च एंड एप्लिकेशन*. www. Ejtra.Com June 2015.

यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन. 2012. एजुकेशन फ़ॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. *सोर्स बुक*. साइंटिफ़िक एंड कल्चरल ऑर्गनाइज़ेशन. पेरिस.

यूनाइटेड नेशन पब्लिकेशन. 2014. *सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद जेंडर इक्वेलिटी — डिफ़ेनेशन एंड कन्सेप्ट्स*. द वर्ल्ड सर्वे ऑन दि रोल ऑफ़ वुमेन इन डेवलपमेंट ऑफ़ दि थीम ऑफ़ जेन्डर इक्वेलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट.

यूनाइटेड नेशन पब्लिकेशन. 2014. द वर्ल्ड सर्वे ऑन द रोल ऑफ़ वुमेन इन डेवलपमेंट ऑन द थीम ऑफ़ जेंडर इक्वेलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट.

सस्टेनेबल डेवलपमेंट — सेवेन्टीन गोल्स टू ट्रांसफ़र अवर वर्ल्ड. www.un. org.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय. 2016. *भारत वार्षिक संदर्भ ग्रंथ*. प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

www. Un.org. एचीव जेन्डर इक्वेलिटी एंड इम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स.